अभियंता प्रमुख (मु०) का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश -76

का०आ०सं०– निग / सारा–एन०एच०–आरोप–25 / 2017 पटना, दिनांक 20/3/2026

श्री सरोज कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, खगड़िया प्रतिनियुक्त राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, खगड़िया प्रतिनियुक्त राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर के पदस्थापन अवधि में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–80 के कि०मी० 167 से कि०मी० 180 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का समुचित पर्यवेक्षण नहीं करने एवं अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता बरतने जैसे आरोपों के लिए कार्यालय आदेश संख्या–119–सहपठित ज्ञापांक–3283 (ई०) दिनांक 30.06.2017 के द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–134–सहपठित ज्ञापांक–4332 (ई०) अनु० दिनांक 27.07.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। निलंबित कर्मियों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–8537 दिनांक 06.07.1981 में लिये गये नितिगत निर्णय को दृष्टिगत में रखते हुए विभागीय समीक्षोपरांत कार्यालय आदेश संख्या–79–सहपठित ज्ञापांक–2822 (ई०) दिनांक 13.04.2018 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त किया गया।

2. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–4960 (ई०) दिनांक 28.06.2019 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। स्मारोपरांत श्री कुमार के द्वारा पत्रांक–शून्य, दिनांक 18.06.2020 से विभाग को सूचित किया गया कि उनके द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर तैयार किये जाने हेतु कतिपय अभिलेखों की मांग प्रमंडलीय कार्यालय, भागलपुर से किया गया है, अभिलेख प्राप्त होते ही द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर विभाग को समर्पित कर दिया जायेगा। परन्तु स्मारोपरांत भी श्री कुमार के द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं किया गया।

3. तत्पश्चात मामले की सम्यक रूप से समीक्षा की गयी और समीक्षोपरांत विभागीय कार्यवाही में आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–176–सहपठित ज्ञापांक–8125 (ई०) दिनांक 03.12.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (i) के तहत समानुपातिक रूप से **आरोप वर्ष 2017–18 के लिए "निन्दन" का दण्ड** संसूचित किया गया तथा श्री कुमार के निलंबन अवधि दिनांक 30.06.2017 से दिनांक 12.04.2018 तक में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में परिगणित किया जायेगा, के रूप में विनियमन करने का निर्णय लिया गया।

(२०) आई० टी० मैनेजर

4. श्री कुमार के निलंबन अवधि दिनांक 30.06.2017 से दिनांक 12.04.2018 तक के संबंध में विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–7876, दिनांक 20.05.2013 में निहित प्रावधान के तहत श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–3069 (एस) दिनांक 09.04.2025 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी। अनेको स्मारोपरांत भी श्री कुमार के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया।

5. अतएव श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में यह मानते हुए कि निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में लिये गये निर्णय पर इन्हें कुछ नहीं कहना है, श्री सरोज कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, खगड़िया प्रतिनियुक्त राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के निलंबन अवधि दिनांक 30.06.2017 से 12.04.2018 को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

"श्री कुमार को निलंबन अवधि (दिनांक 30.06.2017 से 12.04.2018) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में परिगणित किया जायेगा।"

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–एन०एच०–आरोप–25/2017 पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहाचर, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, खगड़िया/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय, मुख्यालय–मुंगेर/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (लेखा),/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03/06/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री सरोज कुमार, सेवानिवृत पत्राचार का पता–क्वार्टर नं०–314/जी०एच० रामपुर कॉलोनी, जमालपुर, मुंगेर, मोबाईल सं०–9470005543** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

d:\nigrani section-13&14\ashok kumar\karyalay aadesh 2024 @ adhisuchna.docx

ज्ञापांक :– निग / सारा–एन०एच०–आरोप--25 / 2017 1989 (E) पटना, दिनांक 20/3/2026

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Web site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

19.03.26